

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्र. 22 / 3782 / 2003 / 2 / 34 भोपाल
प्रति,

दिनांक 03.01.2004

1. प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल
2. मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर

विषय :- जिला सरकार को प्रत्यारोपित कृत्यों एवं अधिकारों के स्थगन के परिप्रेक्ष्य में कार्य व्यवस्था ।
संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ-11-40/2003 /1/ 9 दिनांक 17.12.2003

दिनांक 16.12.2003 को मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 628 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिला सरकारों को 30 मार्च 1999 एवं उसके पश्चात सौंपे गये समस्त कृत्य एवं अधिकार स्थगित कर दिये गये हैं। इस संदर्भ में, ग्रामीण एवं नगरीय जल आपूर्ति के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्देश दिये जाते हैं कि योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति, निविदाओं की स्वीकृति तथा सामग्री के क्रय हेतु जिला योजना समितियों को पूर्व प्रदत्त अधिकारों का उपयोग वैकल्पिक व्यवस्था तक मुख्य अभियंता उन्हें बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स एवं निर्माण कार्य विभाग नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत करें।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्रमांक /3782/ 2003/ 2/34

भोपाल दिनांक 01.2004

प्रतिलिपि :- सचिव, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर सचिव
मध्य प्रदेशशासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग